



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



पंचदीप भवन, सी० आई० जी० मार्ग, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02
Website : www.esic.nic.in

फाईल संख्या: ए-30011/2/2024-स्था. 3

दिनांक: 11.11.2024

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय:- 30 जून / 31 दिसम्बर को केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य हेतु 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को कल्पित वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में।

Subject:- Grant of notional increment on 1st July / 1st January to the employees who retired from Central Govt. service on 30th June/ 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits- regarding.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या. 19/116/2024-Pers.Pol.(Pay)(Pt) दिनांक 14.10.2024 इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

Office Memorandum No. 19/116/2024-Pers.Pol.(Pay)(Pt) dated 14.10.2024 issued by Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training is being attached with this Office Memorandum for necessary action.

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत जारी किया जा रहा है।

This Office Memorandum is being issued with the approval of Competent Authority.

संलग्नक: उपरोक्त/ Encl.: as above.

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त / मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु।
2. सभी बीमा आयुक्त, मुख्यालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु।
3. सभी अंचल बीमा आयुक्त।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु।
5. सभी ईएसआई अस्पताल / ईएसआई माडल अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन को सूचनार्थ हेतु।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु।
7. उप निदेशक, स्थापना शाखा- 5, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
8. संयुक्त निदेशक, स्थापना शा- 1, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
9. वित्त एवं लेखा शाखा- 3 / 4, रोकड़ शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
10. सूचना एवं सम्प्रेषण शाखा को ईआरपी में आवश्यक संशोधन करने हेतु।
11. वेबसाईट सामग्री प्रबन्धक को ईएसआई कार्पोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
12. गार्ड फाईल।